

## न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:-डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -04/2019 (अपील)

जीसीएमएस नं० 2019/00001

सन्तोष भार्गव (मृतक) पुत्री स्व० नन्द किशोर भार्गव जरिफे कायम मुकामान-

1. रवि भार्गव पुत्र स्व० मदन मोहन भार्गव
2. मनोज भार्गव पुत्र स्व० श्री मदन मोहन भार्गव
3. सविता भार्गव पुत्री स्व० मदनमोहन भार्गव
4. कविता भार्गव पुत्री स्व० मदनमोहन भार्गव  
निवासीगण मकान नं० 101, शकुन्तला अपार्टमेंट छावनी, कोटा

---अपीलान्ट.

बनाम

1. श्याम बिहारी भार्गव (मृतक) पुत्र स्व० श्री नन्दकिशोर भार्गव, जरिये कायम मुकामान  
1/1 विकास भार्गव  
1/2 विवेक भार्गव  
निवासीगण ए-3, फ्लैट नं. 603 महालक्ष्मीपुरम, बारां रोड कोटा
2. ओमप्रकाश आत्मज श्री मोडूलाल जाति ब्रह्मण निवासी झालीपुरा, तहसील लाडपुरा कोटा
3. तहसीलदार लाडपुरा कोटा
4. पंकज भार्गव पुत्र स्व० हनुमान प्रसाद भार्गव  
निवासी 2974, कूचा माईदास, बाजार सीताराम चौरासी घंटा मन्दिर के पास, दिल्ली-6
5. संदीप भार्गव पुत्र श्री स्व० हनुमान प्रसाद भार्गव निवासी सी-585 अवंतिका सेक्टर 1 रोहिणी, दिल्ली-85
6. दीपक भार्गव पुत्र स्व० हनुमान प्रसाद भार्गव निवासी 2974, कूचा माईदास, बाजार सीताराम चौरासी घंटा मन्दिर के पास, दिल्ली-6
7. रेणु भार्गव पुत्री स्व० हनुमान प्रसाद भार्गव निवासिनी सी-585 अवंतिका सेक्टर 1 रोहिणी दिल्ली 85
8. प्रीति भार्गव पत्नी श्री पवन भार्गव निवासिनी डी-1 राधिका देव नगर, टोंक रोड जयपुर

---रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध इंतकाल संख्या 45 दिनांक 30.04.1990 ग्राम दसलाना विरुद्ध तहसीलदार लाडपुरा

उपस्थिति

1. श्री अमित शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हेमन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक रेस्पो० नं० 2

निर्णय

दिनांक-09.06.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दसलाना में खातेदार श्याम बिहारी, मुकुट बिहारी पुत्र नन्द किशोर जाति महाजन व कृपा देवी बेवा नन्दकिशोर जाति महाजन के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 97 की किता-2 रकबा 3.98 हे० भूमि दर्ज रेकार्ड थी। खातेदारान द्वारा उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 748 की भूमि का विक्रय जरिये विक्रय पत्र दिनांक 5.1.1988 को ओमप्रकाश को किया जाने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 754 की भूमि रेस्पोडेन्ट नं० 2 ओमप्रकाश के नाम नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 30.04.1990 को स्वीकृत किया गया।

जिला कलेक्टर  
कोटा

2. अपीलान्त द्वारा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 30.04.1990 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.11.2018 को लिमिटेड एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है अपीलान्त के पिता स्व० नन्दकिशोर भार्गव के कृषि खाते की पुराना खसरा नम्बर 504/519 नया खसरा नम्बर 748 रकबा 1.72 हे०, पुराना खसरानम्बर 504, नया खसरानम्बर 754 रकबा 2.26 हे० कुल 2 किता की 3.98 हे० आराजी ग्राम दसलाना में स्थित है । अपीलान्त के पिता का दिनांक 10.12.1985 को देहांत हो गया । स्व० नन्दकिशोर भार्गव के दो पुत्र मुकुट बिहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव थे, पत्नी कृपा देवी तथा तीन पुत्रियां अपीलान्त श्रीमति संतोष, प्रेमलता एवं ओमलता भार्गव है । कृपा देवी, मुकुट बिहारी भार्गव तथा प्रेमलता व ओमलता भार्गव का देहांत हो चुका है । मुकुट बिहारी कोई उत्तराधिकारी नहीं है । प्रेमलता के एक पुत्री व तीन पुत्र है तथा ओमलता के एक पुत्री है । रेस्पोंडेन्ट कम 4 लगायत 7 स्व. प्रेमलता के कायम मुकामान है तथा रेस्पोंडेन्ट कम 8 स्व. ओमलता के कायम मुकामान है । स्व. नन्दकिशोर भार्गव की मृत्यु के उपरांत उनके मिल्कियती कृषि आराजी में तत्समय जीवित सभी उत्तराधिकारियों कमश श्रीमति कृपा देवी, मुकुट बिहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव, संतोष देवी तथा प्रेमलता एवं ओमलता के नाम से इंतकाल खोला जाना था लेकिन रेस्पोंडेन्ट कम 1 एवं स्व० मुकुट बिहारी के धोखाधडी करते हुए अपीलान्त की माता श्रीमती कृपा देवी अपीलान्त की बहिन प्रेमलता एवं अपीलान्त का फर्जी शपथ पत्र दिनांक 1.9.1987 को पेश कर रेस्पोंड कम 3 के समक्ष जाहिर किया कि अपीलान्त अपीलान्त की माता एवं बहिन के द्वारा अपने हित का त्याग जरिये शपथ पत्र श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी के पक्ष में त्याग दिया है । तथा समस्त हित श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी में निहित हो गये है तथा उक्त भूमि पर दोनों भाईयों के नाम से इंतकाल खोले जाने की सहमति अपीलान्त एवं अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा दे दी है । उपरोक्त फर्जी शपथ पत्रों के आधार पर रेस्पोंडेन्ट कम-3 तहसीलदार के द्वारा शपथ पत्रों की जांच किए बिना ही रेस्पोंड कम 1 एवं स्व० मुकुट बिहारी के नाम से उपरोक्त आराजी में खातेदार अंकित कर दिये । रेस्पोंड कम 1 व स्व० मुकुट बिहारी भार्गव के द्वारा धोखाधडी करते हुए खसरा नम्बर 754 की 2.26 हे० कृषि आराजी दिनांक 5.1.1988 को रेस्पोंड कम 2 ओमप्रकाश आत्मज मोडूलाल जाति ब्रह्मण निवासी झालीपुरा को बेचार का उसका विक्रय पत्र दिनांक 5.1.1988 को पंजीहबद्ध कर, दिया गया । विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोंड कम 1 श्याम बिहारी, स्व० मुकुट बिहारी एवं कृपा देवी का नाम खाते से हटाकर रेस्पोंड कम 2 का नाम अंकित कर दिया गया है । जबकि अपीलान्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उत्तराधिकारियों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करना चाहिए जो नहीं किया गया केवल शपथ पत्रों के आधार पर ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोंड नं० 1 दौराने अपील कार्यवाही फोट होने से वकील अपीलान्त ने रेस्पोंड नं० 1 के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र दिनांक 3.12.2024 को पेश किया । कायम मुकामान की तलबी की गई । रेस्पोंड नं० 1 के कायम मुकामान की ओर से अभिभाषक श्री दीपक शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ, कायम मुकामान रिकार्ड पर लिये गये । वकील अपीलान्त एवं रेस्पोंड नं० 2 के वकील उपस्थित । रेस्पोंड नं० 1 के कायम मुकामान के अभिभाषक बावजूद सूचना के अनुपस्थित है तथा शेष रेस्पोंडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो चुके है किन्तु बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की गई । उपस्थित विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्त के पिता स्व० नन्दकिशोर भार्गव के कृषि खाते की पुराना खसरा नम्बर 504/519 नया खसरा नम्बर 748 रकबा 1.72 हे०, पुराना खसरानम्बर 504, नया खसरानम्बर 754 रकबा 2.26 हे० कुल 2 किता की 3.98 हे० आराजी ग्राम दसलाना में स्थित है । अपीलान्त के पिता का दिनांक 10.12.1985 को देहांत हो गया । स्व० नन्दकिशोर भार्गव के दो पुत्र मुकुट बिहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव थे, पत्नी कृपा देवी तथा तीन पुत्रियां अपीलान्त श्रीमति संतोष, प्रेमलता एवं ओमलता भार्गव है । कृपा देवी, मुकुट बिहारी भार्गव तथा प्रेमलता व ओमलता भार्गव का देहांत हो चुका है

जिला कलक्टर  
कोटा

1. मुकुट बिहारी कोई उत्तराधिकारी नहीं है । प्रेमलता के एक पुत्री व तीन पुत्र है तथा ओमलता के एक पुत्री है । रेस्पोडेन्ट कम 4 लगायत 7 स्व. प्रेमलता के कायम मुकामान है तथा रेस्पोडेन्ट कम 8 स्व. ओमलता के कायम मुकामान है । स्व. नन्दकिशोर भार्गव की मृत्यु के उपरांत उनके मिल्कियती कृषि आराजी में तत्समय जीवित सभी उत्तराधिकारियों कमश श्रीमति कृपा देवी, मुकुट बिहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव, संतोष देवी तथा प्रेमलता एवं ओमलता के नाम से इंतकाल खोला जाना था लेकिन रेस्पोडेन्ट कम 1 एवं स्व0 मुकुट बिहारी के धोखाधडी करते हुए अपीलांट की माता श्रीमती कृपा देवी अपीलांट की बहिन प्रेमलता एवं अपीलांट का फर्जी शपथ पत्र दिनांक 1.9.1987 को पेश कर रेस्पो0 कम 3 के समक्ष जाहिर किया कि अपीलांट अपीलांट की माता एवं बहिन के द्वारा अपने हित का त्याग जरिये शपथ पत्र श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी के पक्ष में त्याग दिया है । तथा समस्त हित श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी में निहित हो गये है तथा उक्त भूमि पर दोनों भाईयों के नाम से इंतकाल खोले जाने की सहमति अपीलांट एवं अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा दे दी है । उपरोक्त फर्जी शपथ पत्रों के आधार पर रेस्पोडेन्ट कम-3 तहसीलदार के द्वारा शपथ पत्रों की जांच किए बिना ही रेस्पो0 कम 1 एवं स्व0 मुकुट बिहारी के नाम से उपरोक्त आराजी का इंतकाल खोल दिया तथा विधि विरुद्ध रूप से अपीलांट उसकी माता बहिनों के नाम खाते से हटा दिये । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 एवं मुकुट बिहारी भार्गव के पक्ष में इंतकाल खोले जाने के पूर्व अपीलांट को एवं अन्य उत्तराधिकारियों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । रेस्पो0 नं0 3 के द्वारा अपीलांट एवं अन्य उत्तराधिकारियों के नाम केवल मात्र शपथ पत्र के आधार पर नाम हटाने में गम्भीर त्रुटि की है । क्योंकि शपथ पत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हक त्याग नहीं किया जा सकता है तथा उपरोक्त शपथ पत्र विधिव रूप से भी तस्दीक नहीं थे तथा प्रथम दृष्टया फर्जी थे, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट एवं तत्समय अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा कभी भी रेस्पो0 कम 1 एवं स्व. मुकुट बिहारी भार्गव के पक्ष में हक त्याग नहीं किया ना ही रेस्पो0 कम 1 को कभी अपीलांटान के नाम इंतकाल खोले जाने से मना किया । उक्त सारी कार्यवाही फर्जीवाडा करते हुए स्वयं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की है । रेस्पोडेन्ट नं0 1 व मुकुट बिहारी के तहसीलदार द्वारा भूमि बहैसियत खातेदार दर्ज करने पर उनके द्वारा खसरा नम्बर 754 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नं0 2 ओमप्रकाश को विक्रय कर दी गई, जिसका अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है, जबकि अपीलांट एवं उनकी बहिने उक्त वर्णित भूमि के हकदार होने से उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को ऐसे इंतकाल की प्रथम जानकारी 3 अप्रैल 2018 में हुई तदुपरांत अपीलांट के द्वारा दिनांक 10.4.2018 को नकल का आवेदन पेश कर दिनांक 19.4.2018 को नकल प्राप्त हुई इस दौरान अपीलांट बीमार हो जाने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी । इसलिए यह अपील लगभग 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही है । अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण सद्भाविक है । अपीलाधीन नामान्तरकरण की वर्णित भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 2 को कर दिया गया है, जबकि अपीलांटगण एवं नन्दकिशोर जी के अन्य वारिसान का उक्त भूमि पर हक व अधिकार निहित था तथा अपीलांट की माता एवं बहिनों ने विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये है । इस हेतु विक्रय पत्र अवैध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पो0 कम 3 के द्वारा पारित इंतकाल नम्बर 45 एवं आदेश दिनांक 30.4.1990 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट एवं अन्य कायम मुकामान का नाम खाते में बहैसियत खातेदार दर्ज फरमया जाने का आदेश प्रदान करें । वकील अपीलांट ने अपील में अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये है-

- Smt. Sheo bai v/s shimbhoo RRD Feb. 2022 page 65
- Girja bai v/s Nathi bai RRD 1994 page 606
- Lamuram v/s state of rajasthan RRD 1989 page 45
- Prem singh v/s sugan kanwar RRT (2) page 1137
- State of rajasthan v/s Madanlal RRT 2013 (2) page 766
- State of rajasthan v/s Parasram RRC 1995 page 601

जिला कलक्टर  
कोटा

5. वकील रेस्पोजेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रथम तो यह अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.4.1990 की 28 वर्ष उपरान्त मियाद बाहर प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र की पेरा नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थनीया को अपील विषयक इन्तकाल की जानकारी दिनांक 3.4.2018 को होने का दिनांक 19.4.2018 को नकल प्राप्त होने के पश्चात बीमार होने का कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब होना बताया है, जो मिथ्या एवं काल्पनिक झूठे कथन वर्णित किया है। यदि अपीलांट बीमार थी तो अपील के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट आदि प्रस्तुत करती। इस प्रकार जानकारी की दिनांक एवं नकले प्राप्त होने के बाद भी 6 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है जो मियाद के बिन्दु पर ही निरस्तनीय है। वैसे भी रेस्पोजेन्ट द्वारा उक्त वर्णित भूमि खातेदार से जरिये विक्रय पत्र के क्रय की है तब से ही खातेदार काबिज काशत है। विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि को नामान्तरकरण की अपील से निरस्त किया जाने का प्रावधान नहीं है। वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया है कि अपीलांटगण द्वारा उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद वास्ते घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा अन्तर्गत आदेश 88,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें आगामी पेश दिनांक 27.6.2025 को वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में नियत है जिसके प्रकरण संख्या 69/2024 होने का वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा कथन किया है, वाद पत्र की प्रति फर्द के साथ दौराने बहस प्रस्तुत की है। वकील रेस्पोजेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये हैं—

- आर आर टी 2017 (1) 117
- आर आर टी 2016 (2) 1110
- आर आर टी 2018-19 (Supp) 218
- आर आर टी 2024 (1) 207

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 30.04.1990 के विरुद्ध दिनांक 29.11.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपील मियाद बाहर है। मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 03.04.2018 को होना बताया है। जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित खसरा नम्बर 754 की भूमि रेस्पोजेन्ट नं0 2 द्वारा 5.1.1988 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, जिसकी जानकारी अपीलांट की माता व बहिनों को प्रारम्भ से ही थी, साथ ही वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में स्वयं वर्णित अनुसार इन्तकाल की प्रथम जानकारी दिनांक 3.4.2018 को होना बताया जाकर दिनांक 19.4.2018 को नकल प्राप्त होने के उपरान्त भी अपील प्रस्तुत नहीं कर 29.11.2018 को 7 माह बाद प्रस्तुत की है तथा 7 माह के विलम्ब के लिए ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है। मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने **RRD Feb. 2022 page 65** प्रस्तुत की है जिसमें सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि **After making enquiry and taking evidence of possession on spot-procedure Followed by gram Panchayat is ab initio void -Limitation is not applicable** एवं प्रस्तुत **RRD Feb. 2022 page 65** प्रस्तुत की है जिसमें पारित विनिश्चय अनुसार **Order which is void ab initio can be challenged at any time- Appral Field after more than 18 year but immediately after Knowledge, is note barred** किन्तु प्रस्तुत अपील 28 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है तथा प्रथम जानकारी होने के बाद भी 7 माह बाद प्रस्तुत की गई है ऐसी स्थिति में यह न्यायिक निर्णय पूर्णरूप से इस प्रकरण पर चरपा नहीं होते हैं। मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में बताये गये कारण उचित एवं ठोस आधार नहीं होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। किन्तु प्रस्तुत अपील का निस्तारण मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त गुणावगुण के आधार पर भी विवेचन करना उचित समझते हैं।

7. अपीलांट ने अपनी अपील में तर्क दिया है कि मूल खातेदार नन्दकिशोर का स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान में दो पुत्र मुकुट बिहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव व पत्नि कृपा देवी तथा तीन पुत्रियां अपीलांट श्रीमती संतोष, प्रेमलता एवं ओमलता भार्गव थी, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक खातेदार के फोती इंतकाल में



जिला कलेक्टर  
कोटा

दोनों पुत्र व पत्नि के साथ साथ तीनों पुत्रियों अपीलांट की माता एवं बहिनों का भी नाम आना चाहिए, जिससे हम सहमत हैं, किन्तु इसी की निरन्तरता में अपीलांट स्वयं द्वारा कथन किया है कि रेस्पोंडेंट नं० 1 एवं रेस्पोंडेंट नं० 2 मुकुट बिहारी के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए अपीलांट की माता कृपा देवी एवं अपीलांट की बहिन प्रेमलता एवं अपीलांट का फर्जी शपथ पत्र दिनांक 1.9.1987 को पेश कर अपीलांट की माता एवं बहिन का अपने हित का हक त्याग जरिये शपथ पत्र श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी के पक्ष में करवा लिया है तथा रेस्पोंडेंट नं० 1 श्याम बिहारी व मुकुट बिहारी के भूमि बहैसियत खाते दर्ज होने पर उनके द्वारा खसरा नं० 754 की भूमि रेस्पोंडेंट नं० 2 ओमप्रकाश को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया जबकि वर्णित भूमि के उत्तराधिकारियों को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था । हमने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 45 का अवलोकन किया जिस अनुसार खसरा नम्बर 748 एवं 754 की भूमि रकबा 3.98 हे० श्याम बिहारी, मुकुट बिहारी महाजन एवं कृपा देवा बेवा नन्दकिशोर के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी । उक्त वर्णित भूमि में से खातेदारान द्वारा खसरानम्बर 754 की रकबा 2.26 हे० भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान ओमप्रकाश पुत्र मोडूलाल को किया जाने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है । वकील रेस्पोंडेंट नं० 2 द्वारा फर्द के साथ प्रस्तुत फोटो प्रति दावा एवं स्थगन प्रार्थना पत्र अनुसार अपीलांट द्वारा उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में एक नियमित वाद वास्ते घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा अन्तर्गत आदेश 88,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत किया हुआ है जो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की बहस में आगामी पेशी दिनांक 27.6.2025 को नियत है ।

8. मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त Smt. Sheo bai v/s shimbhoo RRD Feb. 2022 page 65 , Giria bai v/s Nathi bai RRD 1994 page 606 , Lamuram v/s state of rajasthan RRD 1989 page 45 प्रस्तुत न्यायिक निर्णयानुसार नामान्तरकरण **ab initio void** होने पर लिमिटेशन की बाध्यता नहीं है तथा जानकारी के तुरन्त बाद प्रस्तुत अपील मियाद बाहर नहीं मानी है, किन्तु इस प्रकरण में स्वीकृत नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है अपीलांट की माता, स्वयं एवं बहिन द्वारा शपथ पत्रों के आधार पर अपना हक अपने भाईयों के पक्ष में हक त्याग करने के कारण ही श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी खातेदार घोषित होने से उनके द्वारा भूमि का बेचान रेस्पोंडेंट नं० 2 को किया गया है विक्रय पत्र के आधार ही यह नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है । ऐसी स्थिति में इस नामान्तरकरण को **ab initio void** नहीं माना जा सकता है । साथ ही अपीलांट द्वारा प्रथम स्वयं के बताये अनुसार प्रथम जानकारी के भी 7 माह बाद अपील प्रस्तुत की है । ऐसी स्थिति में मियाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक निर्णय पूर्ण रूप से इस अपील पर लागू नहीं होते हैं । शेष न्यायिक निर्णय Prem singh v/s sugan kanwar RRT (2) page 1137, State of rajasthan v/s Madanlal RRT 2013 (2) page 766, State of rajasthan v/s Parasram RRC 1995 page 601 से हम सहमत हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का भी नाम आना चाहिए किन्तु इस प्रकरण में पुत्रियों द्वारा अपना हक 1.09.1987 को ही छोड़ने के कारण ही तहसीलदार द्वारा श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी व कृपा देवी के पक्ष में खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत करने के कारण खातेदारान द्वारा भूमि का विक्रय किया है जिसके आधार पर खसरा नम्बर 754 के बेचान का इंतकाल रेस्पोंडेंट नं० 2 के नाम स्वीकृत हुआ है । इस कारण यह न्यायिक निर्णय भी इस प्रकरण पर पूर्णरूप से लागू नहीं होते हैं । वकील रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय आर आर टी 2017 (1) 117, आर आर टी 2016 (2) 1110, आर आर टी 2018-19 (Supp) 218, आर आर टी 2024 (1) 207, अपील मियाद बाहर होने बाबत प्रस्तुत किये हैं । प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों से हम सहमत हैं तथा यह इस प्रकरण में चस्पा होते हैं ।



जिला कलक्टर  
कोटा

9. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते हैं कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.01.1988 से खातेदारान द्वारा खसरा नम्बर 754 की भूमि का विक्रय रेस्पोंडेन्ट नं० 2 ओमप्रकाश को करने से मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण इस अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है । वैसे भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । हकों के निर्धारण हेतु अपीलांत द्वारा नियमित वाद सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें हकों का निर्धारण होना है । नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है, जिसमें हकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । हकों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही संभव है ।
10. परिणामतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों की रोशनी में यह अपील मियाद बाहर होने एवं अपील स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 45 में कोई हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।
11. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया



  
(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलक्टर कोटा  
जिला कलक्टर  
कोटा